Title: Need to implement Crop Insurance Scheme in North Gujarat effectively.

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि उत्तरी गुजरात में हर साल अकाल पड़ता है। अकाल से राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना का एक प्रावधान कर रखा है, किंतु इस योजना से किसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। बाजरा, गेज, पेडी जैसी फसलों के लिए जो दावे हुए हैं उनका भुगतान समय पर नहीं होता है और बहुत से लोगों को भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में हमने सरकार को कई पत्र लिखे, परंतु उनका संतोजनक जवाब नहीं आता है। जो बातें हम कहते हैं और पूछना चाहते हैं उनका जवाब नहीं दिया जाता है। तीन सालों से अकाल बराबर आता है, परंतु किसानों को उनकी फसल की बीमा योजना का फायदा समय पर नहीं मिलता है और भोले-भाले किसानों को कई सरकारी औपचारिकताओं में फंसना पड़ता है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि हम तथ्यों की जांच करवायें और दोषी अधिकारियों को दंडित करें जो इन कार्यो में लापरवाही और अनावश्यक देरी करती है, साथ ही फसल बीमा योजना को और कारगर बनाया जाये।